डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

संख्या : लो०अ०वि० / सम्ब० / 2017 / 4181

दिनांक :20–05–2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबा रामनाथ समारक महाविद्यालय,
बिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड्० पाठ्यकम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के कम में सम्बद्धता समिति की संस्तुति दिनॉक: 09.05.2016 के कम में कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद की संस्तुति की प्रत्याशा बाबा रामनाथ समारक महाविद्यालय, बिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड्० पाठ्यकम में 50 सीट (01 यूनिट) को शैक्षिक सत्र 2017–19 में संचालित किये जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुति एवं सम्बद्धता प्रस्ताव में संलग्न प्रमाणित अभिलेखों एवं अंकित मानकों / विवरणों के सत्यापन के अधीन निम्नलिखित कमियों के अन्तर्गत दिनॉक: 01.07.2017 से बी०एड्० सत्र 2017–19 हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

1. महाविद्यालय / संस्था सम्बद्धता समिति की कार्यवाही में इंगित कमियों यथा– प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय / संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण एवं माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है ।
3. महाविद्यालय / संस्था द्वारा सम्बद्धता प्राप्त की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. जिन संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण कक्षायें प्रारम्भ होने से पूर्व कराया जाय तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एव क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. महाविद्यालय / संस्था शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय / संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय / संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. शासनादेश के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी०पी०एफ० की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
9. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हे विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा।

भवदीय

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 परीक्षा नियन्त्रक / वित्त अधिकारी / उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

{दूरभाष – 05278-245957}
{फैक्स – 05278-248123}

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/ 2020/1234 दिनांक : 29/06/2020

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा **(दिनाँक 29–06–2020)** के क्रम में कुलपति महोदय के तत्सम्बंधी आदेश एवं कार्यपरिषद से अनुमति की प्रत्याशा में **बाबा रामनाथ स्मारक महाविद्यालय, बिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर** को **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीट्स (01 यूनिट) की अतिरिक्त प्रवेश क्षमता (पूर्व संचालित सीट्स को छोड़कर) के साथ** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2020–21 से आगामी दो वर्षो हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. **उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय बी0एड0 प्रवेश काउसिलिंग वर्ष–2020 प्रारम्भ होने के पूर्व मानकानुसार शिक्षकों (अनुमोदित) की उपलब्धता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में उक्त सम्बद्धता आदेश में निर्धारित सीट्स राज्यस्तरीय प्रवेश काउसिलिंग से स्वतः पृथक कर दी जायेगी।**
2. संस्था/महाविद्यालय में इंगित समस्त कमियां (**यथा**–अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण एवं अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं है।) को एक माह में पूर्ण कर लेगा। अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षो में छात्रों को प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. सम्बद्धता आदेश पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में महाविद्यालय को एन0सी0टी0ई0 से प्राप्त अनुमति के एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली से सत्यापन के अधीन होगा।
4. एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता एवं निरन्तरता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 के मान्यता पत्र (Recognition Letter) में अंकित शर्तो तथा एन0सी0टी0ई0 के मानको की निरन्तरता सुनिश्चित करता रहेगा। एन0सी0टी0ई0 के मान्यता पत्र में यदि किसी समय एन0सी0टी0ई0 द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा मान्यता वापस ली जाती है तो उस स्थिति में महाविद्यालय तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा।
7. जिन संस्थानों/ महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तो का निराकरण करा लिया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एंव क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
8. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
9. संस्था बी0एड0 प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित एन0सी0टी0ई0, उ0प्र0 शासन के सुसंगत आदेश विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेंगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
11. मानकानुसार शिक्षकों की निरंतरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय बी0एड0 प्रवेश काउसिलिंग शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

भवदीय

उप–कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, **बाबा रामनाथ स्मारक महाविद्यालय, बिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर।**
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।
4. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. पत्रावली।

उप–कुलसचिव